बिहार सरकार
मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
(निबंधन)
अधिसूचना

पटना, दिनांकः–.....

एस0आ0सं0–10/विवाह इमारत शरिया–15/2016...../दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876 की धारा–3 एवं 6 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया जाता हैः–

क्रमांक	नाम	पता	अभ्युक्ति
1.	खुर्शिद अनवर (Khurshid Anwar) आधार सं0–945662781825	पिता–मो0 मुस्लेह उद्दीन, ग्राम+डाकघर–सन्हौली, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर, बिहार. पिन–812005.	

2. उक्त एक्ट के अधीन नियुक्त निबंधक, विवाह एवं तलाक का **क्षेत्राधिकार** अवर निबंधन कार्यालय, बिहपुर (भागलपुर) **का क्षेत्राधिकार होगा।**

3. अधिनियम की धारा–6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II एवं III का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को अवर निबंधन कार्यालय, बिहपुर (भागलपुर) के समक्ष उपस्थापित करेंगे, जिनके द्वारा इन्हे सत्यापित किया जाएगा।

4. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा यथा–वेतन, सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन ग्रेच्युटी इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10–विवाहइमारतशरिया–15/2016 (CN-186024)...../ पटना,दिनांक–.....

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10–विवाह इमारत शरिया–15/2016 (CN-186024) 5504/ पटना, दिनांक– 08.09.26

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भागलपुर/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/जिला अवर निबंधक, भागलपुर/अवर निबंधक, बिहपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/खुर्शिद अनवर, पिता–मो0 मुस्लेह उद्दीन, ग्राम+डाकघर–सन्हौली, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर, बिहार. पिन–812005/विभागीय आई0टी0 मैंनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।